vè;k; 21

तरूण अपराधी

अलग खण्ड में तरूण अपराधियों का संसीमन

615. प्रत्येक कारा में 18 और 21 वर्ष के बीच की उम्र वाले तरूण अपराधियों के लिए एक अलग खण्ड होगा जिससे कि उन्हें वयस्क आदतन अपराधियों से दूर रखा जा सके। इस खण्ड को दो भागों में विभाजित किया जाएगा

एक विचाराधीनों तथा दूसरा सिद्ध दोषों के लिए। सामान्यतः प्रत्येक खंड में 100 से अधिक अन्तःवासी नहीं रहेंगे।

तरूण अपराधी खण्ड समिति

616. इस खण्ड में एक तरूण अपराधी खण्ड समिति होगी जिसमें खण्ड के पदाधिकारी सदस्य तथा सहायक अधीक्षक अध्यक्ष होंगे। इस समिति के कृत्य होंगे–

(i) तरूण अपराधियों के कल्याण एवं अनुशासन के मामलों में अधीक्षक तथा उपाधीक्षक की सहायता करना

(ii) प्रत्येक अन्तःवासी का व्यक्तिगत तौर पर अध्ययन करना और उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न समस्याओं को समझना

(iii) प्रशिक्षण एवं वर्ताव के लिए अन्तःवासियों के प्रतिउत्तर का आकलन

(iv) अन्तःवासियों की व्यक्तिगत स्तर पर मार्गदर्शन और सहायता देना

(v) एक खण्ड में प्रत्येक चार महीने में तीन अन्तःवासी नेतृत्व कर्त्ताओं का चुनाव करना

(vi) अन्तःवासी नेताओं को साफ–सफाई, स्वास्थ्य–विज्ञान, कल्याण और मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों जैसी खण्ड की समस्याओं से जोड़ना

तरूण अपराधियों की शिक्षा

617. अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि तरूण अपराधियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को समुचित ढंग से पूरा किया जाए तथा संपूर्ण शैक्षणिक विकास हेतु आवश्यक सुविधाएँ कारा में उपलब्ध करायी जाएँ। वह सुनिश्चित करेगा कि तरूण अपराधियों के लिए, यदि आवश्यक हो तो एन0जी0ओ0 के सहयोग से, समुचित शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार किये जाएँ जिससे कि विभिन्न आयु वर्ग और प्रतिभा स्तरों के तरूण अपराधी उनसे लाभ उठा सकें। तरूण अपराधियों की शिक्षा में निम्नांकित पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा–

(i) शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा

(ii) सामाजिक एवं नैतिक शिक्षा

(iii) साहित्यिक शिक्षा

(iv) व्यावसायिक शिक्षा

(v) कला एवं दस्तकारी शिक्षा

618. अशिक्षित और शैक्षिक रूप से पिछड़े तरूण अपराधियों के लिए विशेष कक्षाएँ आयोजित की जाएँगी।

619. काराओं में तरूण अपराधियों के स्वयं शिक्षा के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराए जाएँगे। जिनमें अपेक्षित क्षमता हो तथा जो राज्य शिक्षा विभाग या विश्वविद्यालय या किसी अन्य अंगीभूत संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने की इच्छा रखते हों, उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी।

620. तरूण अपराधियों को ऐसे दस्तकारी, कौशल और व्यवसाय सिखाएं जाएँगे जो मुक्ति के बाद उनके लिए उपयोगी होंगे।

तरूण अपराधियों का नियोजन

621. तरूण अपराधियों को चक्रानुसार से कारा द्वारा संचालित स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विज्ञान, रसोई एवं कैंटीन, वस्त्र धुलाई एवं पंपिंग सेवाओं जैसे आवश्यक सेवाओं में सहायकों के रूप में नियोजित किया जाएगा। नियोजित तरूण अपराधी से किसी दिन छः घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। काम करने वाला तरूण अपराधी–

(i) पर्यवेक्षण पदाधिकारी द्वारा दिये गये किसी उचित निदेश का पालन करेगा; और

(ii) काम करने के प्रयोजन में आपूर्ति किये गये सुरक्षा वस्त्र या उपकरण धारण करेगा।

सुरक्षित कार्य पर्यावरण तथा कार्य की सुरक्षित रीति

622. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य करनेवाला अपराधी–

(i) जहाँ काम किया जा रहा है उस स्थल पर खतरे का जोखिम नहीं है; और

(ii) इस रीति से काम कर रहा है कि उस अपराधी या किसी अन्य व्यक्ति को खतरे का जोखिम नहीं है,

पर्यवेक्षक पदाधिकारी कोई भी व्यावहारिक कदम उठा सकेगा।

तरूण अपराधियों का सांस्कृतिक विकास

623. तरूण अपराधियों के सांस्कृतिक विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। मनोरंजनात्मक प्रकृति और सांस्कृतिक गतिविधियों के कार्यक्रमों की योजना इस प्रकार बनायी जाएगी कि तरूण अपराधियों के विभिन्न समूहों की आवश्कताओं के अनुकूल हो। मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए इनडोर खेल, आउटडोर खेल, व्यायाम,

खेल–कूद, फिल्म, संगीत, सामुदायिक एवं लोक नृत्य, नाट्यकला, दस्तकारी, पाठ, लेखन, वाद विवाद, क्वीज कार्यक्रम, खेल–समागम, टिकट–संग्रह और बागवानी जैसी गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी।

तरूण अपराधियों का भोजन

624. चूँकि किशोरावस्था वृद्धि और विकास की आयु होती है, चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा ऐसे बंदियों को संतुलित आहार उपलब्ध कराने पर उचित घ्यान दिया जाएगा।

तरूण अपराधियों का अनुशासन

625. तरूण अपराधियों में अनुशासन पर विशेष बल दिया जाएगा। जहाँ तक संभव हो, लघु अपराध के लिए, देय सुविधाओं को वापस ले ली जाएगी। यदि यह प्रयास विफल हो जाती है, तो दूसरे प्रकार के दंड का मार्ग अपनाया जाएगा।

मुक्ति की तारीख की सूचना संबंधियों को दी जाएगी

626. तरूण अपराधी को जब रिहा होना है उसके कम से कम एक माह पूर्व उसकी मुक्ति की तारीख सूचित करते हुए एक पत्र उसके माता–पिता/संबंधियों/मित्रों को भेजा जाएगा और इसकी एक प्रति संबधित जिला पुलिस अधीक्षक को पृष्ठांकित की जाएगी।

तरूण अपराधियों की समस्याओं को निपटाने के लिए मुख्यालय में अलग प्रमाग

627. कारा एवं सुधार सेवाएँ विभाग के मुख्यालय में तरूण अपराधियों की समस्याओं से निपटने के लिए उप महानिरीक्षक, कारा (सुधार सेवाएँ) के अधीन एक अलग प्रभाग का सृजन किया जाएगा।